''भवानी सिंह बनाम देवी सिंह'' राजस्व वाद संख्या:-424/2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.5.2018 यह पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। वादी व प्रतिवादीगण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा दिनांक 14-05-2018 के अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वादपत्र में इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया कि स्व0 श्री भैरो सिंह वादी व प्रतिवादी के पिता थे तथा स्व0 श्रीमति आरजुकंवर धर्मपत्नि स्व0 श्री भैरो सिंह वादी एवं प्रतिवादी की माता थी। स्व0 श्रीमति आरजूकंवर के नाम चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-45/60 के पत्थर नम्बर-137/267 (6) के किला नम्बर-1 ता 25 एवं पत्थर नम्बर-140/274 (57) के किला नम्बर-4 ता 7 तादादी 7.337 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं चक 17 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-64/62 के पत्थर नम्बर-129/274 (54) के किला नम्बर-1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर एवं चक 10 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर-150/257 (1) किला नम्बर-1 ता 10, 13 ता 17, 24-25 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी ने यह भी कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संयुक्त परिवार के सदस्य थे, ने उक्त कृषि भूमि की आय से चक 17 एचएमएच के खाता संख्या-63/61 के पत्थर नम्बर-133/276 (66) के किला नम्बर-1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 18 ता 24 तादादी 1.885 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम से क्रय की जो राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी ने यह भी कथन किये कि वादी के माता-पिता के देहान्त उपरान्त वादी व प्रतिवादी के मध्य घरूबंटवारा हो चुका था तथा मुताबिक घरूबंटवारा प्रतिवादी के नाम चक 17 एच.एम.एच. के खाता संख्या-63/61 के पत्थर नम्बर-133/276 (66) के किला नम्बर-1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 18 ता 24 तादादी 1.885 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई तथा श्रीमति आरजीकंवर के नाम की कृषि भूमि प्रतिवादी को प्राप्त हुई। उक्त घरूबंटवारा मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी की हकीकी बहिनों क्रमशः इन्दुकुमारी, शशी कुमारी व उमां कुमारी एवं स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में उक्त समस्त कृषि भूमि हक त्याग के जरिये दस्तावेज दस्बतरदारी दिनांक 10.06.2009 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया तथा समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है। वादी को उक्त

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

घरूबंटवारा में चक 17 एचएमएच के खाता संख्या–63/61 के पत्थर नम्बर–133/276 (66) के किला नम्बर–1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 18 ता 24 तादादी 1.885 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर भूमि पर बंटवारा के दिन से काबिज चला आ रहा है तथा वादी प्रश्नगत खाता सख्या–63/61 में दर्ज 1.885 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया।

दौराने दावा वादी व प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा मुताबिक राजीनामा में प्रतिवादी के नाम दर्ज तहसील हनुमानगढ़ के चक 17 एच.एम.एच. के खाता संख्या–63/61 में दर्ज 1.885 हैक्टेयर में वादी को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर का खातेदार होना स्वीकार किया है। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा चक 17 एच.एम.एच. के खाता संख्या–63/61 में दर्ज 1.885 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है जो प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा तहसील हनुमानगढ़ चक 17 एच.एम.एच. के खाता संख्या–63/61 में दर्ज 1.885 हैक्टेयर में वादी को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में डिक्री का अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः—सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान मक्कासर
पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
भवानी सिहं बनाम देवी सिहं
दावा बाबत 88 आरटीए, राजस्व वाद संख्याः–424/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री विनोद कुमार पारीक–अधिवक्ता–वादी व श्री लालचन्द वर्मा–अधिवक्ता–प्रतिवादी उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा तहसील हनुमानगढ़ चक 17 एच.एम.एच. के खाता संख्या–63/61 में दर्ज 1.885 हैक्टेयर में वादी को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.942 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में डिक्री का अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।
..................×.........लीज...............................×...........मुबलिग.........×.............बातत............................
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...........................×...............................से तारीख वसुलयाबी....
....

आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 15–05–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

भवानी सिहं पुत्र स्व0 श्री भैरो सिहं, जाति राजपूत, निवासी हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

——वादी——

बनाम

देवी सिहं पुत्र स्व0 श्री भैरो सिहं, जाति राजपूत, निवासी हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

——प्रतिवादी——

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner